

क्रमांक/मा.चि./ 1499
प्रति,


/उमरिया, दिनांक 26/3/18

कार्यपालन अभियंता
(डी.आर.सी.)
न0प्र0पू0क्षे0वि0वि0कं0लि0 शहडोल
जिला शहडोल (म0प्र0)

विषय:- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अन्तर्गत जिला उमरिया (म0प्र0) के अविद्युतीकरण ग्राम सांस से चिनकी के विद्युतीकरण हेतु 11 के0व्ही0 विद्युत लाइन में प्रस्तावित वनभूमि 1.098 हे0 का व्यपवर्तन बावत्।
संदर्भ:- आपका पत्र क्र0/811-812 दिनांक 16.03.2018

५५

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र प्रकरण में कमियों/त्रुटियों की पूर्ति कर प्रस्तुत किया गया है। बिन्दु क्र0 2 में उल्लेखित प्रमाण पत्र एवं आवश्यक बचन पत्र की पूर्ति नहीं की गई है, कृपया आप दो दिवस के अन्दर कार्यालयीन समय पर उपस्थित रहकर प्रमाण पत्र एवं बचन पत्रों की पूर्ति करावें। तदनुसार अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।




वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया (म.प्र.)

पृ0क्रमांक/मा.चि./ 1520
प्रतिलिपि:-

/उमरिया, दिनांक 26/3/18

1. मुख्य वनसंरक्षक वन वृत्त शहडोल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।



वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया (म.प्र.)

O/c

कार्यालय क्षेत्रीय वनमण्डल उमरिया (म.प्र.)

Phone - 07653-222217, 9424794505, E-mail -dfotumaria@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./ 1163
प्रति,

/उमरिया, दिनांक/9/3/18

कार्यपालन अभियन्ता
(डी.आर.पी.)
म०प्र०पूर्व क्षेत्र वि०वि०क०लि०
शहडोल (म०प्र०)


विषय:- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम योजना के अन्तर्गत जिला उमरिया (म०प्र०) के अविद्युतीकरण ग्राम सांस से चिनकी विद्युत लाइन में प्रस्तावित वनभूमि 1.098 हे० का व्यपवर्तन बावत्।

संदर्भ:- मुख्य वनसंरक्षक वन वृत्त शहडोल का पत्र क्र०/मा०चि०/2018/1287 दिनांक 19.02.2018

५५

विषयांकित प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्र०/मा०चि०/268 दिनांक 06.02.2018 द्वारा आवश्यक सहमति हेतु मुख्य वनसंरक्षक वन वृत्त शहडोल की ओर प्रेषित किया गया था। उक्त संदर्भित पत्र एवं मूलतः प्रस्ताव संलग्न है, का अवलोकन करें, प्रस्ताव में पाई गई कमियों/त्रुटियों की पूर्ति कर 5 प्रतियों में शीघ्र प्रेषित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया (म.प्र.)

पृ०क्रमांक/मा.चि./ 1164
प्रतिलिपि:-

/उमरिया, दिनांक/9/3/18

1. उप वनमण्डलाधिकारी (क्ष०) पाली की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. वन परिक्षेत्राधिकारी (क्ष०) घुनघुटी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख किया जाता है कि बिन्दु क्रमांक 01 से 04 तक की चाही गई जानकारी शीघ्र प्रेषित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया (म.प्र.)

५५